संख्याः178/2026/1375/35-4-2026/35-4002(003)/9/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागपत।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांकः 10 सितम्बर, 2026

विषयः त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद बागपत में शासनादेश संख्या-89/2026/574/35-4-2026/35-4002(003)/9/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा 44 कार्यों की रू. 1994.03 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 499.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। जिलाधिकारी बागपत के पत्र संख्या-36/डीईएसटीओ/ त्वरित/आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 13.04.2026 के क्रम में उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2026 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-28 पर अंकित निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य का नाम	शासनादेश दिनांक 31.03.2026 का क्रमांक	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
ग्राम मूलसम से ब्लॉक बिनोली बाईपास हिज्जेन्द्र की ट्यूबवैल से चन्दायण तक जीरो स्तर से नेपन स्तर तक काली सड़क।	28	91.57	23.00

2- जनपद बागपत से सम्बन्धित उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31.03.2026, इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। निरस्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि को राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कराते हुए इसकी सूचना ट्रेजरी चालान की प्रति सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्याः178/2026/1375(1)/35-4-2026/35-4002(003)/9/2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मंडल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, बागपत।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागपत।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बागपत।
15- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बागपत।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in